तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/12/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजय कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है/ अन्य कार्य मे व्यस्थ है/ अभिभाषणगण कान्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साधिक कार्यवाही हेतु दिनांक...13/01/25.......को पेश हो।	
13/01/25	वकु० उप०। TDR, बून्दी की रिपोर्ट जरिये पत्रांक भू० अ०/6277 दिनांक 13/12/24 शा० पत्रावली हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश दिनांक 17/01/25 को पेश हो।	
17/01/25	वकु० उप०। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया, शा० मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
15/प्रा0प0/2024	**20.03.2024**	**हरबिन्दर डी0 सिंह,** आर०ए०एस०

ओमप्रकाश उर्फ रामप्रकाश आत्मज श्री देवीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सीन्ती तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थी

—बनाम—

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी राज०।
2. रामस्वरूप आत्मज श्री देवीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सीन्ती तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।
3. लटूर आत्मज श्री देवीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सीन्ती तहसील व जिला बून्दी राजस्थान

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक—17.01.2025

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री राजकुमार गोयल।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जमाबंदी संवत् 2076 वर्ष 2019 से स्थायी की कृषि भूमि खाता संख्या नया 138 पुराना 135 की खसरा नम्बर 509 रकबा 0.5223 हैक्टेयर तथा खसरा सं० 510 रकबा 0.5614 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.0843 हैक्टेयर वाके ग्राम सीन्ता तहसील व जिला बून्दी मे स्थित हैं। उक्त भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित हैं। उक्त वर्णित भूमि पर तहसीलदार बून्दी के आदेश क्रमांक भू०अ०/2023/3874—91 दि० 2—6—2023 की पालना में गरड़दा सिंचाई परियोजना में खसरा नम्बर 509 में से रकबा 0.242 हैक्टे० तथा खसरा संख्या 510 में से रकबा 0.090 हैक्टेयर भूमि अवाप्त हैं। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के खाते मे दर्ज हैं। इसी प्रकार भूमि खाता संख्या नया 97 पुराना 39 की खसरा संख्या 334 रकबा 19 बिस्वा, [illegible] 348 [illegible] 6 बिस्वा, 349 रकबा 14 बिस्वा, 350 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 379 रकबा 4 [illegible] बिस्वा, 380 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा [illegible] बीघा 13 [illegible] ग्राम सीन्ती तहसील व जिला बून्दी में स्थित हैं। उक्त भूमि में [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित हैं। [illegible] की पैतृक भूमि हैं जो उन्हे विरासत में प्राप्त हुई हैं। वाद पत्र की चरण सं. 1 [illegible] वर्णित भूमि मे वादी का नाम रामप्रकाश लिखा हुआ हैं जबकि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि मे वादी का नाम ओमप्रकाश लिखा हुआ हैं जो दोनो ही वादी के नाम हैं लेकिन सहवन से एक खाते में रामप्रकाश व दूसरे खाते में ओमप्रकाश लिखा हुआ हैं जो राजस्व अधिकारियों की त्रुटि के कारण हैं। वादी को दोनो ही नामों से जाना जाता हैं इस कारण वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि में वादी का नाम रामप्रकाश उर्फ ओमप्रकाश किया जाना आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

उक्त इन्द्राज राजस्व अधिकारियों की गलती से हुआ हैं। रामप्रकाश नाम वादी ओमप्रकाश का ही नाम हैं। रामप्रकाश नाम का अन्य कोई व्यक्ति गांव मे नहीं हैं। उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं जिससे वादी अपने खाते की भूमि का उपयोग उपभोग कर सकें। वादी को उक्त अंकन की जानकारी नही थी। भूमि अवाप्ति होने के उपरान्त अवाप्ति राशि प्राप्त करने के लिए वादी द्वारा आवेदन किया गया तो रामप्रकाश नाम होने से उसे अवाप्ति मुआवजा राशि नही दी गई जबकि वादी रामप्रकाश व ओमप्रकाश दोनो नामों से जाना जाता है। वादी के समस्त दस्तावेजात् ओमप्रकाश नाम से हैं। वादी द्वारा जानकारी होने पर दिनांक 26-12-2023 को राजस्थान सरकार द्वारा कलक्टर महोदय बून्दी को रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया लेकिन इसके उपरान्त भी कोई कार्यवाही नही की गई इस कारण वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया हैं, प्रार्थी इत्यादि अंकित कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2076 वर्ष 2019 से स्थायी की कृषि भूमि खाता संख्या नया 138 पुराना 135 की खसरा नम्बर 509 रकबा 0.5229 हैक्टेयर तथा खसरा सं० 510 रकबा 0.5614 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.0843 हैक्टेयर वाके ग्राम सीन्ता तहसील व जिला बून्दी मे वादी का नाम रामप्रकाश के स्थान पर रामप्रकाश उर्फ ओमप्रकाश किए जाने का आदेश प्रदान कर डिक्री पारित की जावे तथा इस हेतु प्रतिवादी सं० 1 को आदेशित किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रदान की जावे।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, बून्दी से प्रार्थना पत्र के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया। तहसीलदार, बून्दी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2024/6277 दिनांक 13.12.2024 से अवगत कराया हैं कि ग्राम सीन्ता में खसरा नंबर 509 व 510 कुल किता 2 रकबा 1.0843 है0 पर रामप्रकाश, रामस्वरूप, लटूरलाल पि0 देवीलाल जाति मीणा निवासी सीन्ती हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 दर्ज रेकार्ड हैं। जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार (सन् 2000) उक्त भूमि में राप्रकाश आ0 देवीलाल जाति मीणा सही दर्ज किया हुआ हैं। ग्राम सीन्ती में खाता संख्या 97 कुल किता 6 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा में ओमप्रकाश, रामस्वरूप व लटूरलाल आ0 देवीलाल जाति मीणा निवासी सीन्ती अंकित हैं जो विरासत् के नामा0 संख्या 386 दिनांक 21.06.2013 से दर्ज हुए हैं। उक्त नामा0 एवं सजरा के अनुसार ओमप्रकाश नाम सही दर्ज हुआ हैं। मौका रिपोर्ट दिनांक 01.03.2024 अनुसार ग्रामवासियों व आस-पास के खातेदारों से जानकारी करने पर पाया गया कि ओमप्रकाश ही रामप्रकाश हैं। ओमप्रकाश को ही आम बोल-चाल में रामप्रकाश कहते हैं। रामप्रकाश नाम का कोई अन्य व्यक्ति गांव में नहीं हैं। ओमप्रकाश व रामप्रकाश एक ही व्यक्ति हैं। भूमि अवाप्ति अवार्ड आदेश की पालना में भूमि पर रहन दर्ज होने से अवाप्ति हेतु प्रार्थी के खाते में नोट दर्ज किया गया हैं। अतः शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में सहवन से सिर्फ रामप्रकाश ही अंकित कर दिया हैं जबकि प्रार्थी का दस्तावेजी नाम ओमप्रकाश हैं। प्रार्थी को उक्त दोनो ही नामों से जाना-पहचाना-पूकारा जाता हैं। राजस्व रेकार्ड में सिर्फ रामप्रकाश अंकित होने से प्रार्थी को अपने काश्तकारी कार्य में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा हैं। इसलिये श्रीमान् से निवेदन हैं कि [illegible] विषयक आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम रामप्रकाश [illegible] अंकित करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त [illegible] आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न ग्राम सीन्ता के जमाबंदी संवत् [illegible] (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 138 पुराना 135 की आराजी कुल किता 2 कुल रकबा 1.0843 है0 में प्रार्थी का नाम रामप्रकाश पुत्र देवीलाल अंकित हैं, जबकि ग्राम सीन्ती के जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 97 पुराना 39 की आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 1.7918 है0 में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल अंकित हैं। मुताबिक रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार, बून्दी रामप्रकाश व ओमप्रकाश प्रार्थी के ही नाम हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना एवं प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में रामप्रकाश के स्थान पर रामप्रकाश उर्फ ओमप्रकाश किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम सीन्ता तहसील व जिला बून्दी राजस्थान के जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 138 पुराना 135 की आराजी खसरा संख्या 503 रकबा 0.5229 है0, खसरा संख्या 510 रकबा 0.5614 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0843 है0 में काश्तकार के नाम में अंकित प्रविष्टी ''रामप्रकाश पुत्र देवीलाल'' के स्थान पर ''रामप्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल'' अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। तदनुसार तहसीलदार, बून्दी को चिट्ठी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested